

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
::आदेश::

भोपाल दिनांक 05/10/2023

क्र. एफ IPI/5/0004/2023/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स जेके टॉयर एंड इंडस्ट्रीज लि. द्वारा रु. 300.70 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से औद्योगिक क्षेत्र बानमोर, जिला मुरैना में स्थित बानमोर टॉयर प्लांट का विस्तार (फेज-1) संबंधी प्रस्ताव (DIPIP2208190001) पर शासनादेश दिनांक 26.07.2023 द्वारा स्वीकृत सुविधाओं के संबंध में पुनर्विलोकन अभ्यावेदन पर निम्नानुसार सुविधायें दी जाये -

1. निवेश प्रोत्साहन सहायता - उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता हेतु दिनांक 26/07/2023 को स्वीकृत सुविधा की गणना में रोजगार गणक का लाभ पृथक से प्रदान किया जाये।
2. परियोजना हेतु पूर्व शासन आदेश दिनांक 26/07/2023 द्वारा स्वीकृत सहायता का लाभ शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार



(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
भोपाल, दिनांक 05/10/2023

पृ. क्र. एफ IPI/5/0004/2023/ए-ग्यारह
प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 3. आयुक्त, चम्बल संभाग चम्बलर।
 4. कलेक्टर, जिला - मुरैना ।
 5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
 6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स जेके टॉयर एंड इंडस्ट्रीज लि., Jaykaygram, Po - Tyre Factory, Kankroli - 313342 (Rajasthan).
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग